
节時 前情 在 (额) 9月97 市 नियमित समझा जाएगा एव

का बादः एक



## उत्तराचल सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) ति सेन्द्रितिकार्थक अधिकारिती को (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत

> उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 457 / विघायी एवं संसदीय कार्य / 2002 देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

### अधिसूचना

### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21-12-2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002

> > (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का उत्तरांचल राज्य की प्रवृत्ति के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए-

### अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002
  - (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

- 2. अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) प्रस्तर (ख) और (छ) में संशोधन—
- (1) अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (ख) में इंगित शब्दों "उत्तरप्रदेश विधानपरिषद के एक निर्वाचित हिन्दू सदस्य" को निरसित समझा जाएगा एवं "विधान सभा से निर्वाचित दो हिन्दू सदस्यों" के स्थान पर " विधान सभा से निर्वाचित 3 हिन्दू सदस्यों" पढ़ा जाएगा ।
- (2) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधास 1 के प्रस्तर (छ) में राज्य सरकार द्वारा नामित किए जानेवाले सदस्यों की संख्या 'सात' के स्थान पर 'दस एवं एक उपाध्यक्ष' पढ़ा जाएगा ।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जाना—
  मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया जाएगा—

"परन्तु राज्य सरकार उतनी संख्या में, जितना वह उचित समझे, सरकार के अधिकारियों को नामित कर सकेगी "।

> आज्ञा से, (यू० सी० ध्यानी) अपर सचिव।

No. 457/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002 <u>Dated Dehradun, December 21, 2002</u>

जिल्लाकी एवं प्रश्नेय के कार्य विकास

अंद्रेश क्षेत्र एवं प्रश्निक कर्य / 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 18 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

UTTARANCHAL (THE UNITED PROVINCES SHRI BADRINATH TEMPLE ACT, 1939) (AMENDMENT) ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT No. 18 OF 2002)

(Enacted by the State Assembly in the Fifty-third Year of the Republic of India)

ा है। वह वास्कृति से गामा साक्ष्म वह (६)

To further amend the United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939 in it's application to Uttaranchal State.

> AN ACT

Short title and commencement -

- This Act may be called Uttaranchal (The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939) (Amendment) Act, 2002.
  - It shall come into force at once.
- Amendment of Para (b) of Sub Section (1) of the Section 5 of Act No. 16 of 1939-2
- In Para (b) of Sub Section (1) of the Section 5 of Act No. 16 of 1939 the words "one member of the (1) Legislative council" shall be deemed repealed and "two" persons elected from Hindu members of Legislative Assembly", shall be read as "three persons elected from Hindu members of Legislative Assembly".
- In Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act the number of nominated members by (2) the State Government shall be read as "ten and a Vice Chairman" instead of "seven".
- Insertion of a new proviso after Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act -3. A new proviso after Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act shall be inserted as follows: -

The State Government may nominate such officers of the Government as members as it may deem necessary.

By Order,

(U. C. DHYANI) Addl. Secy.